उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या–3525–अ0प्र0–07 / पाकालि / 23–25–अ0प्र0–07 / 23 दिनांक 23 / 12 / 2023

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में 41.10% प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिक) से सहायक अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिक) के पद पर प्रोन्नति हेतु दिनांक 20.11.2020 को सम्पन्न हुई विभागीय चयन समिति की बैठक में मोहरबन्द किये गये श्री अक्षय कुमार यादव (वरि0क्र0–08 / CEH / 20), अवर अभियन्ता के विरूद्ध प्रश्नगत प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण को कारपोरेशन आदेश सं0–4200–अ0का0 एवं सत0–05ए, दिनांक 30.10.2023 द्वारा **"चेतावनी"** प्रदान करते हुए इनके विरूद्ध प्रचलित विभागीय कार्यवाही के प्रकरण को समाप्त किये जाने के दृष्टिगत उनका मोहरबन्द लिफाफा खोलकर इन्हें अस्थायी / स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिक) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निम्नवत तालिका के स्तम्भ–4 में उल्लिखित निगम को तैनाती हेतु आवंटित किया जाता है :–

क्र0 सं0	अवर अभियन्ता का नाम / पिता का नाम / गृह जनपद / जन्मतिथि / SAP ID / वरि0क्र0 सर्वश्री	वर्तमान तैनाती स्थान	सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति पश्चात् तैनाती हेतु आवंटित डिस्कॉम / इकाई	आवंटित अभिज्ञान सं0
1	2	3	4	5
1	श्री अक्षय कुमार यादव / सुरेन्द्र यादव / 09-04-1985 / वाराणसी / 11001815 / 08/CEH/20	वि0वि0मं0, सोनभद्र	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,	2020402

2. परिषदादेश सं0–1849–काविनी / राविप–29 / 97–14–काविनी / 87, दिनांक 08.10.1997 के प्रस्तर–7(ग) में निहित प्राविधानानुसार श्री अक्षय कुमार यादव (वरि0क्र0–08 / CEH / 20), को दिनांक 20.11.2020 को सम्पन्न हुई विभागीय चयन समिति की बैठक में चयनित हुए उनसे आसन्न कनिष्ठ श्री अनिल कुमार राम (वरि0क्र0–08 / CEH / 21) की सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति आदेश सं0–955–अ0प्र0–07, दिनांक 17.03.2021 के निर्गमन की तिथि अर्थात 17.03.2021 से प्रोन्नत माने जाने के आदेश किये जाते है।

3. उपरोक्त प्रोन्नत कार्मिक पूर्व परिषदादेश सं0–485–ए–आर / राविपि–01–28–एआर / 89, दिनांक 27.03.89 के सन्दर्भ में मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे।

4. सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक / मुख्य अभियन्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत अवर अभियन्ता के नियंत्रक अधिकारी उन्हें वर्तमान कार्यभार से कार्यमुक्त करने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें :–
   - (क) अवर अभियन्ता निलम्बित न हो।
   - (ख) अवर अभियन्ता के विरूद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयत्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।
   - (ग) अवर अभियन्ता के विरूद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही / अभियोजन का प्रकरण लम्बित न चल रहा हो।
   - (घ) अवर अभियन्ता के विरूद्ध यदि कोई विविध प्रकीर्ण धनराशि / प्रत्याप्ति है तो उसकी नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन उसकी सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है।

5. यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय / निगम, अंकित कार्यालय / निगम से भिन्न है, उस दशा में का0ज्ञाप0 में अंकित कार्यालय / निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय / निगम प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिए मान्य होगा।

6. सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत उक्त अभियन्ता, यथा शीध्र अपने नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। प्रोन्नत कार्मिक को वर्तमान कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा अवमुक्त कर दिया जाए।

7. सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत अवर अभियन्ता के नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि सम्बन्धित प्रोन्नत अवर अभियन्ता कार्यमुक्ति की तिथि को, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा निर्गत आदेश सं0–5910–गोपन/पाकालि(06)/2001, दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन प्रस्तुत कर चुका हो।

अध्यक्ष

संख्या :–3525–अ0प्र0–07/पाकालि/2023/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पा0का0लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त अधिकारी का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कराने हेतु अवश्यक व्यवस्था करें।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को पत्रांक–201–अनु0–01/सहा0अभि0/पदो0, दिनांक 02.03.2021 द्वारा प्रेषित छान समिति की आख्या के सन्दर्भ में।
6. उप सचिव (अ0प्र0–03/04/गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. अनुभाग अधिकारी (अ0प्र0–03/04), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को वैयक्तिक पत्रावली हेतु।
10. उपरोक्त संबंधित अधिकारी/प्रोन्नत अभियन्ता को इस आशय से प्रेषित कि सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी प्रमाणक पत्र (चार्ज सर्टीफिकेट) उप सचिव (03/04), उ0प्र0 कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन (ds0304uppcl@gmail.com / uppcljs02@gmail.com) एवं लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार (vetanlekha@gmail.com) को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
11. पत्रावली सं0–06–अ0प्र0–07/23
12. गार्ड फाइल/कट फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
उप सचिव (07)